# न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

## आदेश पत्रक

बलराम कोईरी ........ बनाम ........ लखन कोईरी वगैरह

| ०/तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|
| 12-17 | अभिलेख सं0–एम......170.../2017 धारा–107 द0प्र0सं0 थाना प्रभारी सोनाहातु ओ०पी० के अप्राथमिकी सं0–56/17 दिनांक–27/11/17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि पैतृक भूमि के बटवारे को लेकर उत्पन्न विवाद को लेकर उभय पक्ष में तनाव है।<br><br>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।<br>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द0प्र0सं0 की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू0 का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।<br>अभिलेख तिथि ....22-12-17 को उपस्थापित करें।<br>लेखापित एवं संशोधित<br><br>[signature] कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।  [signature] .../12/17 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। | |
| -12-17 | अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित द्वितीय पक्ष क्रमांक 01,03,06,07 उपस्थित अन्य अनुपस्थित दिनांक 19-01-18 को रखें।<br>[signature] 22/12/17 | |

| तिथि | आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर |
|---|---|
| 25-06-18 | अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक 20-07-18 को रखें। 25/6/18 |
| 20-07-18 | अभिलेख उपस्थापित। पुनः नोटिस का तामिला प्राप्त। उभय पक्ष अनुपस्थित दिनांक 06-08-18 को रखें। 20/7/18 |
| 06-08-18 | अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। उक्त वाद में प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के 4 (चार) सदस्य न्यायालय में उपस्थित हुए। बाद में उभय पक्ष के द्वारा न्यायालय में उपस्थित दर्ज कराना बन्द कर दिया गया। उभय पक्ष को पुनः नोटिस निर्गत किया गया किन्तु नोटिस |

पृष्ठ सं०–

| तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर |
|---|---|

का तामिला प्राप्त होने के बाद भी उभय पक्ष न्यायालय के उपस्थित नहीं हुआ। उभय पक्ष वाद में रुचि नहीं ले रहे हैं इससे प्रतित होता है कि वर्तमान में उभय पक्ष में शांति भंग होने की संभावना नहीं है। थाना प्रभारी / पु.नि. राय भी न्यायालय को शांति भंग होने का कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है।

अतः उक्त वाद में आगे की कार्यवाही बन्द की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

कार्यपालक दण्डाधिकारी
बुण्डू (रांची)

6/8/18
कार्यपालक दण्डाधिकारी
बुण्डू (रांची)

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2021.08.16 13:53:52 +05:30
Location: 192.168.43.107